63/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
17/10/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विप्रार्थी अधिवक्ता जानबूझकर उपस्थित नही हो रहे है,जो प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। हस्तगत प्रकरण लम्बे समय से बहस में चल रहा है। प्रकरण में विप्रार्थी की ओर से जवाब पेश कर रखा है। ऐसी सूरत मे बहस सुनी जानी उचित प्रतीत होती है। बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि विवादित आराजी में प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से अवैध अतिक्रमण हटवानें व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वांछित अनुतोष चाहा गया है,जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीगण राहत प्राप्त करने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन प्रथम द्रष्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है,क्योकि विवादित आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौराने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद–विवाद हो जाता है,तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बढेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक स्वीकार योग्य है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनते है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश [illegible] 2019 से दोनो पक्षो को मूलवाद के निर्णय तक पाब[illegible] जा[illegible] पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर [illegible] हो। 17.10.2024 सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2024.11.19 18:55:02 IST
Reason: SelfAttested